[19/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 4202]

प्रपत्र-'अ'

मान. विधायक – श्री अमर सिंह यादव

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-4202 के प्रश्नांश 'ख' की जानकारी

क्र.	योजना	योजना का विवरण	अनुदान का विवरण
1	**म.प्र. नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत सौर / पवन /बायोमास/ जल विद्युत ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन हेतु क्रियान्वित परियोजनाएं**	निजी इकाइयों/आमजन द्वारा सौर, बायोमास, पवन, लघु जल ऊर्जा तथा अन्य नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत आधारित परियोजनाओं की स्थापना की जाती है। निजी इकाइयों/आमजन स्थल का सर्वेक्षण कर योग्य परियोजना की साध्यता सुनिश्चित होने पर म.प्र. नवकरणीय ऊर्जा नीति- 2022 के अनुसार योजनाओं का लाभ ले सकते है।	म.प्र. नवकरणीय ऊर्जा नीति- 2022 में प्रावधानित लाभ/प्रोत्साहन, निजी इकाइयों/आमजन को दिये जावेंगे। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं है। तथापि केन्द्र सरकार की अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क परियोजना के अनुसार पार्क की लागत का 30 प्रतिशत अथवा रू. 20 लाख/ मेगावाट जो न्यूनतम हो, की दर से केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
2	भारत सरकार द्वारा मान्य नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत/तकनीक आधारित योजनाएं		
2.1	प्रधानमंत्री कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना)	यह योजना मूलत: केन्द्र शासन द्वारा लागू की गई है।	
2.1.1	पी.एम. कुसुम-अ	इस योजना के अंतर्गत, कृषकों द्वारा स्वयं के व्यय पर, स्वयं की भूमि पर 500 किलो वॉट से 2 मेगा वॉट क्षमता तक के सौर संयंत्र की स्थापना की जाती है। वर्तमान में म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. द्वारा इस योजना के तहत चयन, नवीन सरलीकृत पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाइन आवेदन हर माह की 1 से 15 तारीख तक लिए जाते हैं।	इस योजना में अनुदान का प्रावधान नहीं है।
2.1.2	पी.एम. कुसुम-ब	इस योजना के अन्तर्गत किसानों के यहाँ सोलर पम्पों की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" लागू की गई है, जो प्रदेश में पूर्व से लागू मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना का विस्तारित स्वरूप है। उक्त योजना के अन्तर्गत सोलर पम्प स्थापना हेतु किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।	इस योजना के अन्तर्गत किसानों को 30 प्रतिशत राज्य शासन एवं 30 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा कुल 60 प्रतिशत सब्सिडी (अनुदान) दिये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में चिन्हित विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों (PVTG), यथा- भारिया, बैगा एवं सहरिया समुदाय, के आवेदकों से 40 प्रतिशत उपभोक्ता अंश के स्थान पर केवल 5 प्रतिशत अंश लेकर **"प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना"** अंतर्गत सोलर पंप दिये जाने का प्रावधान है।

निरंतर....

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

2.1.3	पी.एम. कुसुम-स	इस योजना के अंतर्गत, कृषि फीडर्स को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत (सोलराईजेशन) किये जाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस हेतु किसान/निजी ईकाइयां, समय समय पर आमंत्रित निविदाओं में भाग लेकर सौर संयंत्र की स्थापना कर सकते हैं।	इस योजना में 1.05 करोड प्रति मेगा वॉट केन्द्रीय सहायता राशि का प्रावधान है।
2.2	सोलर फोटोवोल्टाइक रूफटॉप परियोजना	इस परियोजना के अन्तर्गत RESCO (Renewable Energy Service Company) एवं CAPEX (Capital Expenditures) मोड में सौर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट की स्थापना की जाती है। रेस्को मोड में हितग्राही संस्था को शून्य निवेश पर संयंत्र की स्थापना की जाती है। हितग्राही संस्था को संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत निविदा के माध्यम से निर्धारित प्रति यूनिट दर पर उपलब्ध होती है, जो कि हितग्राही संस्था को वर्तमान में प्राप्त होने वाली विद्युत दर से कम होती है। जबकि केपेक्स मोड के अन्तर्गत हितग्राही संस्था को परियोजना लागत का संपूर्ण व्यय वहन करना होता है। इसके पश्चात संयंत्र से उत्पादित विद्युत निशुल्क प्राप्त होती है।	वर्तमान में आवासीय क्षेत्र को छोडकर किसी भी वर्ग को शासकीय अनुदान उपलब्ध नही है। आवासीय क्षेत्र में परियोजना का क्रियान्वयन विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।
2.3	पी.एम. जनमन योजना (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान)	यह योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) हेतु केन्द्र शासन द्वारा लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा 2060 परिवारो (नियमानुसार चयनित) में 1 किलो वॉट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।	इस योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा रू. 50,000/- प्रति संयंत्र एवं शेष राशि राज्य शासन द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है।
2.4	सौर गर्म जल संयंत्र परियोजना	इस योजना के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में संबंधित संस्था द्वारा पूर्ण राशि जमा करने के विरूद्ध संयंत्रों की स्थापना की जाती है।	इस योजना में अनुदान का प्रावधान नहीं है।
2.5	सोलर स्ट्रीट लाइट/ होम लाइट परियोजना	इस योजना के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में संबंधित संस्था द्वारा पूर्ण राशि जमा करने के विरूद्ध संयंत्रों की स्थापना की जाती है।	इस योजना में अनुदान का प्रावधान नहीं है।
2.6	म.प्र. ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA)	इस अभियान के अंतर्गत आमजन को नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों एवं ऊर्जा की बचत के विषय में जानकारी दी जाती है एवं प्रशिक्षण के माध्यम से 'प्रमाण पत्र' प्रदान किया जाता है।	इस योजना में अनुदान का प्रावधान नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग